

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ०प्र० लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2016

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1) (ग) के अन्तर्गत "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र० के पत्रांक-आ०टी०ई०-25%/8374/2015-16, दिनांक 01-3-2016 एवं शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० के पत्रांक-शि०नि०(बे०)/38079/2015-16, दिनांक 01.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने के सम्बन्ध में है।

2- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) (ग) के अन्तर्गत 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-266/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11, दिनांक 24 फरवरी, 2016 द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी०सी०-11, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रस्तर 6(ख) में यह व्यवस्था दी गई थी कि विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु बच्चों के माता-पिता/अभिभावक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 28 फरवरी तक आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से निर्णय कराते हुए प्रवेश लेने वाले बच्चों की सूची 01 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व निजी विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। कतिपय स्रोतों से यह पृच्छा की गयी है कि क्या 28 फरवरी की तिथि आवेदन करने की अन्तिम तिथि है।

3- उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-15 में स्पष्ट प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"धारा-15 - किसी बालक की, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा:

परन्तु किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित है:

परन्तु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।”

4- तत्कम में बनाई गई उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-10 में अधिनियम की उक्त धारा-15 में प्राविधानित, प्रवेश के लिए बढ़ाई गई अवधि के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गई है :-

“10 (1) प्रवेश की बढ़ायी गयी अवधि किसी विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह अर्थात् सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् 30 सितम्बर तक होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को किसी विद्यालय में बढ़ायी गयी अवधि के पश्चात् प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी पढ़ायी पूरा करने की लिए पात्र होगा/होगी।”

5- उक्त प्राविधान में स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत न तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की और न ही विद्यालयों में प्रवेश लेने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित है। उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में स्पष्ट प्राविधान है कि किसी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जायेगा। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने या विद्यालय में प्रवेश लेने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

6- चूंकि शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से प्रारम्भ होता है इसलिए छात्रों के शिक्षण के हित में यह आवश्यक है कि अधिकांश छात्र-छात्राओं का प्रवेश शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व हो जाये। 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त की तिथि	पार्थना पत्रों के अनुसार जिलाधिकारी प्रस्तुत करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराने का दिनांक	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
1.	15 मार्च, तक	25 मार्च	01 अप्रैल
2.	16 मार्च-15 अप्रैल,	25 अप्रैल	01 मई
3.	16 अप्रैल-10 मई,	15 मई	18 मई
4.	11 मई -15 जून,	25 जून	01 जुलाई

उक्त के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों को अधिकतम दस दिवसों में निर्णीत कराते हुए उन बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। उक्त समय-सारिणी में स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निस्तारण सम्बन्धित सरकारी/परिषदीय/सहायतित विद्यालयों के समेकित (सभी कक्षाओं को शामिल करते हुए)

छात्र शिक्षक अनुपात (1:30) को संज्ञान में रखते हुए किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में चूंकि पूर्व प्राथमिक कक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, अतः 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के जिन बच्चों के माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों का पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश चाहते हैं, उन बच्चों का प्रवेश आस-पास (Neighbourhood) में स्थित ऐसे विद्यालयों में कराया जायेगा जहाँ पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ उपलब्ध हों तथा वे विद्यालय सामान्यतः अन्य बच्चों का भी प्रवेश उन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में करते हों।

8- इस सम्बन्ध में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप इसमें यथोचित संशोधन किया जा सकता है। प्रारूप में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़े तो यह ध्यान रखा जाय कि यह प्रारूप 'अलाभित समूह' एवं 'दुर्बल वर्ग' के व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। अतः प्रारूप संरल रहे।

9- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाई की जाय।

10- शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी0सी0-11, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 538/79-6-2013, दिनांक 20 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या-266/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के प्रावधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

संलग्नक- उक्तवत्।

भवदीय,

(आशीष कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
- 3- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।
- 6- वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।
- 7- शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

(आज्ञा से,
21/11/16)
(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।